

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 80/आ0कृ0/ज.उ.प्र./सिंचाई पाईप लाईन पंजी0/2020-21/ दिनांक

कार्यालय -आदेश

1447-1648
04-05-2020

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (तीन वर्ष) के लिये कृषि विभाग द्वारा राज्य में कृषकों को बीआईएस मार्का सिंचाई पाईप लाईन (HDPE, PVC & HDPE Laminated Lay flat tube) अनुदान पर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत समस्त निर्माता/विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि, वर्ष 2020-21 में नवीन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक उनकी पंजीयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम आदेशों तक बढ़ाई जाती है। यदि किसी पंजीयन फर्म को कोई आपत्ति है, तो तीन दिवस में इस शाखा के ई-मेल jdagr_wuc@redifmail.com तथा jdagr1wuc@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे, अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एवं नवीन पंजीकरण होने तक उनका पंजीयन मान्य रहेगा।

उक्त श्रीमान आयुक्त, कृषि द्वारा अनुमोदित हैं

61
04/05/2020
(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ

क्रमांक:-एफ 80/आ0कृ0/ज.उ.प्र./सिंचाई पाईप लाईन पंजी0/2020-21/ दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राजस्थान जयपुर।
2. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि उक्त आदेश विभागिय वेब साईट पर अपलोड करावे।
3. सम्बन्धित फर्म मैसर्स.....

61
04/05/2020
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ